ज्ञान, शांति, मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

website: hindivishwa.org

कार्यवृत्त

विद्या-परिषद की 26वीं बैठक

दिनांक : 29 अप्रैल, 2017 (शनिवार)

समय : पूर्वाह्न 10:30 बजे

स्थान : संगोष्ठी कक्ष, साहित्य विद्यापीठ
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 26वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान	:	**संगोष्ठी कक्ष** **साहित्य विद्यापीठ,** **विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा**
दिनांक	:	**29 अप्रैल, 2017 (शनिवार)**
समय	:	**पूर्वाह्न 10:30 बजे**

विषयसूची

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
*	नए सदस्यों का नामांकन एवं स्वागत	1–2
1	25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	2–3
2	25वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई	3
3	विषय विशेषज्ञों की सूची को अद्यतन करना	
4	विभिन्न विषयों में स्नातक पाठ्यक्रमों का आरंभ	4
5	चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली में आंशिक संशोधन एवं स्पष्टीकरण	5
6	शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक का कार्यवृत्त	
7	भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की तेरहवीं बैठक का कार्यवृत्त	
8	साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	
9	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की छठी बैठक का कार्यवृत्त	6
10	प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की चौथी बैठक का कार्यवृत्त	
11	विदेशी विद्यार्थियों के शुल्क पर विचार	
12	भारत अध्ययन केंद्र	
13	विकास एवं शांति अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की नवीं बैठक का कार्यवृत्त	
14	शोधवृत्ति का भुगतान	7
15	'पूर्वाशा' एवं 'दक्षिणावर्त' विभागों हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता	
16	क्षेत्रीय केंद्रों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नियमावली	
17	विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव	

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

** कार्यवृत्त **

विद्या–परिषद की 26वीं बैठक

विद्या–परिषद की 26वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 29.04.2017 (शनिवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे साहित्य विद्यापीठ के संगोष्ठी कक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार थी :

1.	प्रो. गिरीश्वर मिश्र	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. आनंद वर्धन शर्मा	प्रतिकुलपति
3.	प्रो. मनोज कुमार	सदस्य
4.	प्रो. लेला कारूण्यकरा	सदस्य
5.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	सदस्य
6.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	सदस्य
7.	प्रो. अरबिंद कुमार झा	सदस्य
8.	प्रो. देवराज	सदस्य
9.	प्रो. अनिल कुमार राय	सदस्य
10.	प्रो. विजय कुमार कौल	सदस्य
11.	प्रो. सुरेश शर्मा	सदस्य
12.	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	सदस्य
13.	डॉ. अन्नपूर्णा सी.	सदस्य
14.	डॉ. फरहद मलिक	सदस्य
15.	डॉ. अनिल कुमार पांडेय	सदस्य
16.	प्रो. शंभु गुप्त	सदस्य
17.	डॉ. प्रीति सागर	सदस्य
18.	डॉ. शोभा पालीवाल	सदस्य
19.	डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर	सदस्य
20.	डॉ. पीयूष प्रताप सिंह	सदस्य
21.	डॉ. धरवेश कठेरिया	सदस्य
22.	डॉ. अवंतिका शुक्ला	सदस्य
23.	डॉ. शंभू जोशी	सदस्य
24.	डॉ. मैत्रेयी घोष	सदस्य

25.	प्रो. गोविंद प्रसाद शर्मा	बाह्य सदस्य
26.	सुश्री रेणू सिंह	सदस्य (शोधार्थी प्रतिनिधि)
27.	सुश्री स्वेच्छा सिंह	सदस्य (विद्यार्थी प्रतिनिधि)
28.	डॉ. माधुरी इखार	सदस्य (पूर्व छात्र)
29.	डॉ. कृपाशंकर चौबे	प्रभारी – क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता (विशेष आमंत्रित)
30.	डॉ. सुप्रिया पाठक	प्रभारी (विशेष आमंत्रित)
31.	डॉ. सुरजीत कुमार सिंह	प्रभारी (विशेष आमंत्रित)
32.	डॉ. राजीव रंजन राय	प्रभारी (विशेष आमंत्रित)
33.	डॉ. शैलेष कदम मरजी	प्रभारी (विशेष आमंत्रित)
34.	सुश्री मैत्रेयी	प्रभारी (विशेष आमंत्रित)
35.	डॉ. अरूण कुमार सिंह	प्रभारी (विशेष आमंत्रित)
36.	श्री क़ादर नवाज़ ख़ान	कुलसचिव एवं पदेन सचिव

बैठक का आरंभ विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुआ। विद्या–परिषद में नामित विश्वविद्यालय परिनियम 14(1)(j) के अंतर्गत कुलपति द्वारा नामित, **प्रो. गोविन्द प्रसाद शर्मा,** पूर्व निदेशक, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल तथा पूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि (Alumni) के रूप में स्त्री अध्ययन विभाग की पूर्व विद्यार्थी – **डॉ. माधुरी इखार** एवं कुलसचिव श्री क़ादर नवाज़ ख़ान का अध्यक्ष द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया तथा समकुलपति द्वारा दोनों सदस्यों का परिचय दिया गया।

विद्या–परिषद ने पूर्व सदस्यों श्री लीलाधर मंडलाई तथा डॉ. अनिल फरसोले की अवधि पूर्ण होने पर उनके द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की।

तदुपरांत कुलसचिव द्वारा सूचित किया गया कि प्रो. संतोष कुमार भदौरिया, श्रीमती चित्रा मुदगल, प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित, प्रो. रीतेश कुमार सिंह, डॉ. गोविन्द प्रसाद, डॉ. लेखराम दन्नाना, डॉ. हिमांशु शेखर तथा डॉ. अमित कुमार त्रिपाठी अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

इसके बाद बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई और विचार–विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

मद संख्या – 1

<u>25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u> : 1 फरवरी, 2017 को सम्पन्न विद्या–परिषद की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेजा गया था। उक्त संदर्भ में प्राप्त सुझावों के आधार पर कार्यवृत्त में निम्नांकित संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई :

<u>मद सं. 2(17)</u> : कुलसचिव द्वारा श्री संदीप वर्मा को शोध निर्देशक घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना 07.07.2016 को जारी की गई है और उसी तिथि को UGC (Minimum standard and procedure for award of M-Phil-/Ph-D- Degrees) Regulation, 2016 का भारत के गजट में प्रकाशन हुआ है, अतः संदर्भित अधिसूचना की वैधानिक स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक सलाह प्राप्त कर ली जाए।

मद सं. 3.13 : कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान विभाग एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र को समाहित करते हुए इसका नाम **सूचना तथा भाषा अभियांत्रिकी केंद्र किया गया** तथा इसके अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी (M.A. in Information and Language Engineering) पाठ्यक्रम चलाए जाने की स्वीकृति दी गई।

मद सं (3.15) : विभागीय एवं सत्रांत परीक्षाओं हेतु निर्मित किए जाने वाले प्रश्नपत्रों में निर्धारित प्रश्नों के मॉडल उत्तर के 'संकेतक बिंदु' संबंधित विभागों के सूचना फलक पर प्रदर्शित किए जाएँ।

मद संख्या–3.30: में राष्ट्रीय सेवा योजनान्तर्गत कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता दिए जाने का निर्णय पिछली बैठक में लिया गया था। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)/राष्ट्रीय क्रेडिट कोर (NCC)/राज्य स्तरीय क्रीडा (Sports – State Level) कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर स्नातकोत्तर तक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 2% अंकों का अधिभार दिया जाएगा।

मद सं. 15 : भारत अध्ययन पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया। भारत अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित किया जाए, इस संबंध में निर्णय करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद सं. 21 : विश्वविद्यालय के अकादमिक अध्यादेश [Ordinance-3, Medium of Instruction and Examination {Under sub-section 1(C) of section-28 of the Act}] के अनुपालन में शोध कार्य का प्रतिवेदन हिंदी और संबंधित भाषा में प्रस्तुत किया जाए।

मद सं. 27 : प्रबंधन विद्यापीठ के तहत एमबीए पाठ्यक्रम की परीक्षा हिंदी माध्यम में ही की जाएगी।

मद सं. 32 : (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र भेज कर माँग की जाए कि *'अनुवाद अध्ययन' तथा 'प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन'* विषय सहित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उन समस्त विषयों को नेट (NET) परीक्षा में स्वतंत्र विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए, जिन्हें अभी तक उक्त परीक्षा में स्थान नहीं दिया गया है।

(ii) स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के स्थापना–काल से प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति योजना को जारी रखने में आ रही गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पुनः प्रयास किया जाए।

मद संख्या – 2 ✍

25वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई : प्रस्तुत विवरण तथा संशोधित कैलेंडर को नोट कर सहमति व्यक्त की गई।

संकायाध्यक्षों की समिति दूरशिक्षा निदेशालय के शिक्षकों के पी–एच.डी. निर्देशन संबंधी व्यवस्था सहित एम.फिल. तथा पी–एच.डी. के अध्यादेश में अन्य वांछनीय परिवर्द्धन कर कुलपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट देगी। उक्त अध्यादेश हिंदी एवं अंग्रेजी में बनाया जाएगा।

मद संख्या – 3 ✍

विषय विशेषज्ञों की सूची को अद्यतन करना : समस्त विभागाध्यक्षों एवं केंद्र निदेशकों द्वारा विषय विशेषज्ञों की अद्यतन सूची तैयार कर कुलपति को प्रदान की गई। विद्या–परिषद ने अद्यतन सूची को प्रयोग में लाने के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

मद संख्या – 4

<u>विभिन्न विषयों में स्नातक पाठ्यक्रमों का आरंभ</u> : विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से अगले अकादमिक सत्र से विश्वविद्यालय में निम्नांकित स्नातक (सामान्य एवं ऑनर्स) पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई :

पाठ्यक्रम का नाम	विद्यापीठ का नाम	विभाग का नाम
बी.ए. भाषाविज्ञान (सामान्य)	भाषा विद्यापीठ	भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
बी.ए. भाषाविज्ञान (ऑनर्स)		
बी.ए. हिंदी (सामान्य)	साहित्य विद्यापीठ	हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
बी.ए. हिंदी (ऑनर्स)		
बी.ए. संस्कृत (सामान्य)		संस्कृत साहित्य विभाग
बी.ए. संस्कृत (ऑनर्स)		
बी.ए. अंग्रेजी (सामान्य)		अंग्रेजी साहित्य विभाग
बी.ए. अंग्रेजी (ऑनर्स)		
बी.ए. उर्दू (सामान्य)		उर्दू साहित्य विभाग
बी.ए. उर्दू (ऑनर्स)		
बी.ए. पत्रकारिता एवं जनसंचार (ऑनर्स)	मानविकी एवं समाज विज्ञान विद्यापीठ	जनसंचार विभाग
बैचलर इन जर्नलिज्म (BJ) (एक वर्षीय)*		
बी.ए. मानवविज्ञान (सामान्य)		मानवविज्ञान विभाग
बी.ए. मानवविज्ञान (ऑनर्स)**		
बीबीए	प्रबंधन विद्यापीठ	वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
बी.कॉम (ऑनर्स)		
बी.ए. मनोविज्ञान (सामान्य)	शिक्षा विद्यापीठ	मनोविज्ञान विभाग
बी.ए. मनोविज्ञान (ऑनर्स)		

* प्रवेश हेतु पात्रता सुनिश्चित की जाए।

** बी.ए. मानवविज्ञान (सामान्य) पाठ्यक्रम सफल होने पर ही इसे आरंभ किया जाएगा।

नोट : बी.ए. (सामान्य तथा ऑनर्स) के साथ पढ़ाए जाने वाले ऐच्छिक विषयों के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक परस्पर चर्चा कर निर्णय लें।

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में अध्ययन–अध्यापन हेतु अंतर विभागीय स्तर पर शिक्षकों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। भविष्य में स्नातक स्तरीय समस्त पाठ्यक्रमों को Programme of Under Graduate Studies के अंतर्गत चलाए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसकी स्थापना के लिए सक्षम निकाय/प्राधिकारी के समक्ष प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्नातक स्तरीय (सामान्य एवं ऑनर्स) पाठ्यक्रमों की अध्ययन, आयोजन तथा मूल्यांकन पद्धति तथा पाठ्यक्रम संरचना के प्रारूप को सहमति प्रदान की गई। यह पृष्ठ 8 से 10 पर संलग्न है।

मद संख्या – 5

चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली में आंशिक संशोधन एवं स्पष्टीकरण : संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा दिनांक 01.03.2017 को चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (Choice Based Credit System) में आंशिक संशोधन एवं स्पष्टीकरण तथा प्रवेश संबंधी कुछ मुद्दों पर *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी–एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम,* 2016 के आलोक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत एम.फिल. तथा पी–एच.डी. के लिए सीबीसीएस में किए गए आंशिक संशोधन (शोध एसोशिएटशिप को 10 क्रेडिट का किया गया है, जो टंकण त्रुटिवश 20 क्रेडिट का हो गया था), को नोट कर अनुमति प्रदान की गई। क्रेडिट के अंक विभागों की ओर से परीक्षा विभाग को भेजे जाएंगे।

मद संख्या – 6

शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की चौथी बैठक का कार्यवृत्त : शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 21/04/2017 को संपन्न चौथी बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या – 7

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की तेरहवीं बैठक का कार्यवृत्त : भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 27/04/2017 को हुई तेरहवीं बैठक का कार्यवृत्त संकायाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया।

भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मंडल की दिनांक 21.03.2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को स्वीकृति प्रदान की गई।

सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र के निदेशक के विचारों से भी विद्या–परिषद अवगत हुई। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद निम्नांकित निर्णय लिए गए :

(i) पी–एच.डी. इंफोर्मेटिक्स एण्ड लैंग्वेज इंजीनियरिंग की उपाधि को इंजीनियरिंग के समकक्ष रखे जाने पर सहमति नहीं बनी।

(ii) अध्ययन मंडल की दिनांक 21.04.2017 को हुई बैठक की मद सं.–8 के तहत श्री आशीष यादव की विगत छः माह से अनुपस्थिति के आलोक में उनकी पी–एच.डी. प्रवेश/पंजीयन को निरस्त किया गया।

(iii) मद सं.–11 के संबंध में चर्चा के उपरांत निर्णय लिया कि श्री जगदीप सिंह दांगी के प्रकरण में विधिक परामर्श प्राप्त किया जाए।

शेष मदों के संबंध में सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र के अध्ययन–मंडल के गठन की अधिसूचना जारी की जाए ताकि संबंधित अकादमिक कार्य किए जा सकें।

मद संख्या – 8

साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त : साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 26/04/2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त निम्नांकित निर्णयों के साथ अनुमोदित किया गया:

- प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल के शोध–निर्देशन में दो वर्ष या उससे अधिक समय से जो शोधार्थी शोधरत हैं उन्हें सह–शोध निर्देशक उपलब्ध कराया जाए।
- क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद के पी–एच.डी. शोधार्थियों के शोध–विषय का निर्धारण हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के अध्ययन–मंडल के माध्यम से किया जाए।

मद संख्या – 9 ➤

<u>मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की छठी बैठक का कार्यवृत्त</u> : मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 26/04/2017 को हुई छठी बैठक का कार्यवृत्त निम्नांकित निर्णयों के साथ अनुमोदित किया गया :

- जनसंचार विभाग के अध्ययन–मंडल की 25 अप्रैल, 2017 को आयोजित ग्यारहवीं बैठक की मद संख्या 04 पर ''संचार एवं मीडिया विद्यापीठ'' की स्थापना के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। जनसंचार विभाग द्वारा इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर आगे की कार्रवाई की जाए।
- मानवविज्ञान विभाग के अध्ययन–मंडल की 25 फरवरी, 2017 को हुई बैठक की मद संख्या–04 पर डॉ. फरहद मलिक के शोध निर्देशन में शोधरत शोधार्थी, श्री राजीव कुमार के शोध विषय 'वर्धा के दलित बौद्धों का एथनोग्राफिक अध्ययन' में प्रयुक्त शब्द 'एथनोग्राफिक' के लिए हिंदी शब्द 'नृजातिवर्णनात्मक' प्रयोग करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या –10 ➤

प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की चौथी बैठक का कार्यवृत्त : अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक अभी न होने के कारण संबंधित संकायाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की दिनांक 27/04/2017 को हुई चौथी बैठक का कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

** <u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय</u> **

मद संख्या –11 ➤

<u>विदेशी विद्यार्थियों के शुल्क पर विचार</u> : सत्र 2015–16 से विदेशी विद्यार्थियों के लिए शुल्क USD 238 निर्धारित किया गया था। व्यवस्थागत अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर उक्त शुल्क को सत्र 2017–18 से USD 240 करने के निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या –12 ➤

<u>भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना</u> : प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ द्वारा भारत अध्ययन केंद्र की योजना/रूपरेखा वितरित की गई। अगली कार्रवाई हेतु प्रो. शुक्ल विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करेंगे ताकि उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जाए।

मद संख्या –13 ➤

<u>विकास एवं शांति अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की नवीं बैठक का कार्यवृत्त</u> : विकास एवं शांति अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा उनके विभाग के अध्ययन मंडल की दिनांक 27/04/2017 को हुई नवीं बैठक का संस्कृति विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। इस स्वीकृति प्रदान की गई और **'विकास एवं शांति अध्ययन विभाग'** का नाम बदलकर **'गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग'** रखने की अनुमति दी गई।

मद संख्या –14 ⇒

<u>शोधवृत्ति का भुगतान</u> : एम.फिल./पी–एच.डी. शोधार्थियों की उपस्थिति शोध प्रगति के साथ अनिवार्य रूप से माह की 25 तारीख तक संबंधित विभाग की ओर से वित्त विभाग को उपलब्ध करवाई जाएगी। तदनुसार शोधवृत्ति का संबंधित विद्यार्थी को भुगतान किया जाएगा। एम.फिल./पी–एच.डी. के शोधार्थियों द्वारा शोध प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 06 माह में जमा की जाए।

मद संख्या –15 ⇒

<u>'पूर्वाशा' एवं 'दक्षिणावर्त' विभागों हेतु आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता</u> : विद्या–परिषद की दिनांक 14.03.2015 को हुई 22वीं बैठक में मद संख्या–21 के निर्णय के तारतम्य में 'पूर्वोत्तर भाषा व संस्कृत विभाग' (पूर्वाशा) तथा 'दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग (दक्षिणावर्त्त)' को संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत स्थापित किए जाने एवं इसके लिए आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध करवाने के लिए यूजीसी को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। यह प्रस्ताव केंद्र के प्रभारी, डॉ. कृपाशंकर चौबे द्वारा तैयार कर उपलब्ध करवाया जाएगा।

मद संख्या –16 ⇒

<u>क्षेत्रीय केंद्रों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नियमावली</u> : इलाहाबाद एवं कोलकाता में स्थापित दोनों क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु प्रो. लेला कारूण्यकरा की अध्यक्षता में समस्त संकायाध्यक्षों की समिति संबंधित नियमावली तैयार करेगी। संबंधित प्रभारी भी इसके सदस्य होंगे।

मद संख्या –17 ⇒

<u>विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव</u> : विद्यार्थी प्रतिनिधि, सुश्री रेनू सिंह एवं सुश्री स्वेच्छा सिंह ने विद्यार्थियों की छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में शीघ्र कर्रवाई का आश्वासन दिया गया।

पदेन सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति कृतज्ञता–ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

क़ादर नवाज़ 01/05/17

(क़ादर नवाज़ ख़ान)
कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

स्नातक (सामान्य एवं ऑनर्स) पाठ्यक्रम

अध्ययन, आयोजन एवं मूल्यांकनपद्धति –

1. इस पाठ्यक्रम (बी.ए.) के लिए 03 वर्ष की अवधि निर्धारित है। यह पाठ्यक्रम कुल 120 क्रेडिट का होगा।
2. प्रश्नपत्र (Paper) के लिए पाठ्यचर्या (Course) शब्द का प्रयोग किया गया है। पाठ्यक्रम आधार (अनिवार्य एवं ऐच्छिक) तथा मूल (अनिवार्य एवं ऐच्छिक) पाठ्यचर्याओं में विभाजित है।
3. क्रेडिट पाठ्यचर्या के मूल्यांकन की इकाई है, जिसका मान-निर्धारण कार्य-दिवसों के बजाय वास्तविक शिक्षण/अध्ययन के घंटो पर किया गया है। कोर्स वर्क के लिए अनिवार्य और ऐच्छिक पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यचर्या 2 अथवा 4 क्रेडिट की होगी। पाठ्यचर्याओं का निर्धारण संबंधित अनिवार्य एवं ऐच्छिक में 2 और 4 क्रेडिट दोनों प्रकार की पाठ्यचर्या रखी गई हैं।
4. विभिन्न पाठ्यचर्याओं के मूल्यांकन के लिए सेमेस्टर की लिखित परीक्षा और आंतरिक परीक्षा के बीच 3:1 (75/25) काअनुपात होगा।
5. स्नातक के लिए परीक्षा प्रणाली (लिखित परीक्षा हेतु) इस प्रकार होगी:

(i)	दीर्घउत्तरीय/वर्णनात्मक	5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न	प्रत्येक प्रश्न 15 अंक
(ii)	लघुउत्तरीय	6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न	प्रत्येक प्रश्न 5 अंक
(iii)	बहुविकल्पीय	5 प्रश्न	प्रत्येक प्रश्न 2 अंक
...	...	...	**कुल 75 अंक**

बी.ए.(सामान्य) पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यचर्या संरचना निम्नमुसार होगी -

प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	चतुर्थ सेमेस्टर	पंचम सेमेस्टर	षष्ठ सेमेस्टर
आधार पाठ्यक्रम कम्प्यूटर (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम भारतीय संविधान (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी/अन्य विदेशी भाषा (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम भारतीय संस्कृति (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम पर्यावरणिकी (02 क्रेडिट)
मूल पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)
मूल पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	मूल पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)
ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 3 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट)
20 क्रेडिट	20 क्रेडिट	20 क्रेडिट	20 क्रेडिट	20 क्रेडिट	20 क्रेडिट

बी.ए. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यचर्या संरचना निम्नानुसार होगी –

प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	चतुर्थ सेमेस्टर	पंचम सेमेस्टर	षष्ठ सेमेस्टर
आधार पाठ्यक्रम कम्प्यूटर (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम भारतीय संविधान (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी/अन्य विदेशी भाषा (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम भारतीय संस्कृति (02 क्रेडिट)	आधार पाठ्यक्रम मानवाधिकार (02 क्रेडिट)
मूल पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**	**मूल पाठ्यक्रम 1** प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**	**मूल पाठ्यक्रम 1** प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**	**मूल पाठ्यक्रम 1** प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**	**मूल पाठ्यक्रम 1** प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**	**मूल पाठ्यक्रम 1** प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**
ऐच्छिक पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 1 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	**मूल पाठ्यक्रम 1** प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**	**मूल पाठ्यक्रम 1** प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**
ऐच्छिक पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	ऐच्छिक पाठ्यक्रम 2 प्रश्नपत्र 1 (06 क्रेडिट) (कुल 06 क्रेडिट)	**मूल पाठ्यक्रम 1** प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**	**मूल पाठ्यक्रम 1** प्रश्नपत्र 1 (04 क्रेडिट) प्रश्नपत्र 2 (02क्रेडिट) **(कुल 06 क्रेडिट)**
20 क्रेडिट	**20 क्रेडिट**	**20 क्रेडिट**	**20 क्रेडिट**	**20 क्रेडिट**	**20 क्रेडिट**